न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 42/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जेपा पुत्र प्रहलादजी जाति मेघवाल निवासी जैसावास तहसील बागोड़ा		1. पोकरराम पुत्र दुदीया 2. कलाराम पुत्र दुदीया 3. कोकू पत्नी दुदीया जातिगण मेघवाल निवासीगण जैसावास तहसील बागोड़ा 4. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार बागोड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सिकन्दर अली सैय्यद, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.2.19

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बागोड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2015 पोकरराम बनाम जैपाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर जैर अपील विवादित आराजी स्वयं के कब्जा काश्त की होना बताते हुए यह कथन किया कि उक्त आराजी दुदीया की खातेदारी भूमि थी एवं दौराने सेटलमेन्ट विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज होना कथन करते हुए पुनः रेस्पोडेन्ट की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु जो अधिवक्ता नियुक्त किया, उनके द्वारा अपीलाण्ट को बिना सूचना दिए न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु हिदायत नहीं होना जाहिर किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाण्ट को पैरवी हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। वास्तविक स्थिति यह है कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता/पति की पुश्तैनी भूमि थी, जो मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पिता/पति के नाम दर्ज होने के कारण दोनों भाईयों द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा जरिये खसरा परिशोधन पत्र के अपीलाण्ट के नाम जैर अपील विवादित आराजी की खातेदारी दर्ज की गई, तब से अपीलाण्ट जैर अपील विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 2008 (2) पेज 787 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि थी, जिसे अपीलाण्ट द्वारा विधि विरूद्ध रूप से भू–प्रबन्ध अधिकारियों से मिलावट करवाकर स्वयं के नाम दर्ज करवा ली। इस सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 3 वर्ष तक जवाबदावा ही प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही अपीलाण्ट उक्त वाद के प्रतिकार हेतु तैयार था। अपीलाण्ट का कथन है कि अधिवक्ता द्वारा पैरवी हेतु हिदायत नहीं होने बाबत तथ्य प्रकट करने की उन्हे जानकारी नहीं थी, जो अपीलाण्ट का वाद के प्रति जागरूकता के अभाव को रेखांकित करता है। विधि अनुसार पक्षकार को अपने मुकद्दमें के प्रति सजग होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0डी0 1999 पेज 117 तथा डी0एन0जे0 (राज.) 2007 पेज 1138 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा जैर अपील विवादित आराजी स्वयं के कब्जा काश्त की होना बताते हुए यह कथन किया कि उक्त आराजी दुदीया की खातेदारी भूमि थी एवं दौराने सेटलमेन्ट विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज होना कथन करते हुए पुनः रेस्पोडेन्ट की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जो प्रकरण के प्रति अपीलाण्ट की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त अवश्य ही सम्माननीय है एवं प्रकरण हाजा पर चस्पा भी होता है, किन्तु रेकर्ड के आलेख पर यह स्थिति स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित पैरवी हेतु प्रयास ही नहीं किया गया, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। विधि अनुसार पक्षकार को अपने प्रकरण के प्रति सजग रहना आवश्यक है। प्रकरण में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि ग्राम जैसावास की जमाबन्दी सम्वत् 2024 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2027 के खसरा नम्बर 33 रकबा 31 बीघा 3 बिस्वा भूमि दुदीया पुत्र प्रहलादा कौम भांबी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 तक बदस्तूर दर्ज है। इसके पश्चात सेटलमेन्ट की कार्यवाही होने से गत खसरा नम्बर 33 से हाल खसरा नम्बर 23, 24 बने। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्तमान रेकर्ड तैयार करते समय खसरा नम्बर 23 की भूमि दुदीया के नाम तथा खसरा नम्बर 24 की भूमि जेपा के नाम बतौर खातेदारी दर्ज की, जबकि गत खसरा नम्बर 33 की भूमि में जेपा का नाम दर्ज नहीं था। अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी में परिवर्तन करने का अधिकार है ? इस समबन्ध में विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा श्रृंखलाबद्ध अभिनिर्णय प्रतिपादित किए गए है, जिनमें से कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है –

RRT2015(2), pg. 88 11/12.10.2015 & 2015(2)RRT 1214 Charan singh & ors. vs. Khubi & ors. में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 88- Suit for declaration of Khatedari rights-Share of the plaintiff wrongly entered 1/12 instead of 1/8-suit decreed- Appeal dismissed- Trial court corrected the error committed by the Settlement department- Settlement department is bound to appeal the entries- Held, Appeal is devoid of substance & dismissed. **RRD 1992 Pg. 117 Ruda vs. Nathu & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, Section 53 – Order of Assistant Land Records Officer ostensibly correcting revenue but in fac amounting to an order dividing the holding – order is without jurisdiction. (Para5) Jurisdiction – Order passed without jurisdiction, howsoever precise, certain or recnuically correct is a nullity and is not only voidable, but vold. Indian Limitation Act, Section 3 – The question of limitation should not arise in the case of an order passed without jurisdiction and is, therefore, void- such an order can be set aside at any time (Para 5). **RRD 1999 Pg. No. 514 L.Rs. of Smt. Chandravali V/s Bhanwer singh** – (176) में प्रतिपादित किया कि "Code of civil Procedure, Section 10- Revision against rejection of application – Held in both the suits, and land in dispute is the same- The earlier case is subjudice in the civil court, which will affect the later case hence it may be kept pending till decision of the earlier suit- Order of trail court, set aside.(Para 14).

(A) Rajasthan tenancy Act, Sections 53 & 209 – Settlement authorities had no powers to make partition of co-tenancy lad- Order of trail court not imparting relief is erroneous- Relief can be granted by the court on application u/s 209 after framing issues and taking evidence- Issue be framed as pointed out in the order and suit be decided as per provisions of law- Order, Set aside and case remanded.

(B) Rajasthan Land Revenue Act. Section 135- Revision filed against order of R.A.A. remanding the case- Matter is pending in competent court- The proceedings of mutation order to be kept pending till decision- Order of R.A.A. Set aside- Decision of Collector, held justified.

RBJ(8)2001 Pg No. 170 में प्रतिपादित किया कि "Settlement – Settlement department must repeat the previous entries made in the revenue record. It is as established principle of law that settlement Department has no such right to change the entries, they have repeat the previous entries made in the revenue record as it is. The trial court has correctly appreciated the legal implication involved in the case after appreciating the evidence led by the parties. (Para 7) . **RBJ(10)2003 Pg No. 118** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 136- Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- in this case during the settlement operation, Assistant Settlement officer deleted the name of the applicant who is a recorded Khatedar of the disputed land and made entries in name of non-applicants, whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any other of the competent court, Revision Accepted (Para 5 & 6). **RRT 2008(1) Pg. No. 151** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, 1955- Sec. 88 – suit for declaration- Petitioners declares Khatedar tenant of Kh. 734-RRA reversed the judgment & upheld by BOR-Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent no. 4 respondent no. 4 should have file an independent suit- Held, RRA & Board were not justified in reversing the judgment & Decree. **RRD 1998 Pg. No. 520** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, Section 53 & 212 – Revision against impugned order of R.A.A. confirming trail court's order rejecting application for T.I. of ptffs. In respect to 1/3 share against defts. – Held co-tenancy of ptffs. And deft. Nos. 1 & 2 recorded as 1/3 share each in disputed land in Jamabandi St. 2008-23 – During consolidation, entries changed by settlement authorities without authority and recorded 'J' alone on disputed land 10 bighas 2 biswas in Jamabandi St. 2041-44 – suit filed by ptff. For partition and T.I. – Defts. Denied ptffs. Possession on disputed land but did not produce evidence how they came in possession on 10 bighas 2 biswas – T.I. can be issued against co-tenants when possession is challenged and tenancy is refused – Court below have misread the evidence – Concurrent findings can be interfered when illegality occurs in applying provision of law – orders of subordinate court, set aside – T.I. against non-petitioners issued prohibiting them to disturb plaintiffs possession on 1/3 share and to take new electric connection in their name – Status quo ordered to be maintained on the spot situation. **RRT 2007(1) Pg. No. 27** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy Act, 1955 Section 212 – Temporary injunction – Settlement department – attested the mutation though department has no Right to change the entries – Petitioner was recorded as Khatedar in Jamabandi is without jurisdiction and ab initio void – Held, Mutation No. 729 is set aside & Declared void. (Para 6,7,10). **RRT 2003(1) Pg. No. 647 Gurudwara Sahib Singhwala v/s Smt. Sujan Kaur & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan Land Revenue Act, 1956 Section 135 – Mutation – Mutation is a fiscal proceeding – mere change in revenue record cannot give any relief to the parties in the case but it will only give birth to new litigation. इन समस्त अभिनिर्णयों से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग को रेकर्ड में अंकित प्रविष्ठियों यथा खातेदारी अधिकारी आदि परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रकरण हाजा में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत रेकर्ड से हाल रेकर्ड तहरीर करते समय राजस्व अभिलेख में खातेदारी अधिकार सम्बन्धी इन्द्राजात् में जो परिवर्तन किए है, वे उनके अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण शून्य प्रभावी थे, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये पुनःस्थापित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बागोड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 29/2015 पोकरराम बनाम जैपाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.05.2015 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर